E- mail/Speed Post/By hand

शहरी विकास निदेशालय,उत्तराखण्ड।
31/62, राजपुर रोड, देहरादून–248001
E mail – nulmsudauk@gmail.com, दूरभाष – 0135–2749541, फैक्स. 0135.–2749542

सेवा में,

1. **समस्त नगर आयुक्त,**
   नगर निगम,
   उत्तराखण्ड।

2. **समस्त अधिशासी अधिकारी,**
   नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,
   उत्तराखण्ड।

विषयः– पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) – पुनर्गठित योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) – पुनर्गठित योजना को भारत सरकार द्वारा दिनांकः 27 अगस्त, 2025 को स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त योजना की अवधि वर्ष 2030 तक होगी। पुर्नगठित योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

1. **उद्देश्यः–** सड़क विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाना, आजीविका संवर्धन, वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण, ब्याज सब्सिडी, डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोत्साहन एवं पहचान उपलब्ध कराना।
2. **ऋण प्रावधानः–** पहला चरणः ₹15,000 तक (पहले ₹10,000), दूसरा चरणः ₹25,000 तक (पहले ₹20,000) तथा तीसरा चरणः ₹50,000 तक का ऋण फेरी व्यवसायियों को ससमय भुगतान करने पर 7% ब्याज सब्सिडी पर उपलब्ध है।
3. **क्रेडिट गारंटीः–** प्रथम चरण के ऋण हेतु (31.87%), द्वितीय चरण (8.25%) तथा तृतीय चरण (6%) का प्राविधान।
4. **क्रेडिट कार्ड सुविधाः–**योजना में फेरी व्यवसायियों हेतु UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का प्राविधान, जिसकी अधिकतम लिमिट ₹30,000 निर्धारित है, प्रारम्भिक लिमिट ₹10,000 होगी सफलतापूर्वक संचालन करने पर अधिकतम लिमिट ₹30,000 उपलब्ध होगी। क्रेडिट कार्ड ब्याज–मुक्त अवधि 20–50 दिन होगी तथा कोई जॉइनिंग/एनुअल फीस नहीं है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल घरेलू कार्यो हेतु होगा (शराब, जुआ, विदेशी सेवाएँ आदि प्रतिबंधित)। क्रेडिट कार्ड में कैश विदड्रॉल की अनुमति नहीं होगी पर क्रेडिट कार्ड से लिये गये ऋण को मासिक किश्तों (EMI) में परिवर्तन करने की सुविधा उपलब्ध है।
5. **क्षमता निर्माण (Capacity Building):–** फेरी व्यवसायियों हेतु वित्तीय व डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता विकास, खाद्य स्वच्छता व सुरक्षा (FSSAI), ई–कॉमर्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग आदि तथा नगर निकाय कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रावधान।
6. **डिजिटल लेन–देन प्रोत्साहनः–** फेरी व्यवसायियों के खुदरा लेन–देन पर: ₹100 प्रति माह तक, अधिकतम ₹1200 प्रति वर्ष तथा थोक लेन–देन (₹2000 से अधिक) पर रू ₹100 प्रति त्रैमासिक, अधिकतम ₹400 का प्रावधान किया गया है। बैंक, NGO, स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन आदि के सहयोग से डिजिटल ऑनबोर्डिंग हेतु सहयोग लिया जायेगा।

File No. 050108-8NLM/II/2/2025-DAY-NULM-URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE (Computer No. 37063)
Generated from eOffice by RAMESH KANDPAL, JR-ASTT-RK, JR. ASSISTANT, URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE on 11/09/2025 02:45 pm

7. **शहरी सड़क विक्रेता सहायता** (SUSV):– फेरी व्यवसायियों के सर्वेक्षण द्वारा पहचान, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (CoV) व ID कार्ड, शहर स्तर पर वेंडिंग योजना का क्रियान्वयन एवं नवाचार परियोजना को बढ़ावा दिया जायेगा।
8. **"स्वनिधि से समृद्धि (SSS):–** . योजना को सभी शहर–क्षेत्रों में लागू करना तथा अन्य सरकारी योजनाओं (PMAY 2.0 सहित 8 योजनाएँ) से फेरी व्यवसायियों एवं उनके परिजनों को लाभान्वित कराना।
9. **कार्यक्रम व पुरस्कार**:– पुर्नगठित योजना में निम्न कार्यक्रम एवं पुरूस्कार का प्रावधान किया गया है–
   - **लोक कल्याण मेला:–**निकायों में प्रत्येक माह ऋण वितरण, प्रोफाइलिंग, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, वित्तीय साक्षरता हेतु लोक कल्याण मेला का आयोजन करना।
   - **स्वनिधि महोत्सव:–**प्रत्येक वर्ष निकायों द्वारा स्ट्रीट वेंडरों एवं उनके परिजनों हेतु उत्सव का आयोजन करना।
   - **स्वनिधि स्वाभिमान पुरस्कार:–** राज्य स्तर पर बैंकों, निकायों एवं अन्य हितधारकों को प्रोत्साहित करने हेतु स्वनिधि स्वाभिमान पुरस्कार प्रदान करना।

अतः निर्देशित किया जाता है कि नवीन पुर्नगठित पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुये अधिक से अधिक फेरी व्यवसायियों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:–गाईडलाईन।

भवदीय,

Digitally signed by
LALIT NARAYAN MISHRA
Date: 11-09-2025 12:36:27

(डॉ0 ललित नारायण मिश्र)
अपर निदेशक।

संख्या एवं दिनांक:–तदैव।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सहायक महाप्रबन्धक,एस0एल0बी0सी0, उत्तराखण्ड।
5. समस्त लीड बैंक अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त सिटी मिशन मैनेजर, सामुदायिक संगठनकर्ता एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आवंटित निकायों में पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) पुर्नगठित योजना के सफल क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 ललित नारायण मिश्र)
अपर निदेशक।

File No. 050108-8NLM/II/2/2025-DAY-NULM-URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE (Computer No. 37063)
Generated from eOffice by RAMESH KANDPAL, JR-ASTT-RK, JR. ASSISTANT, URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE on 11/09/2025 02:45 pm